



# Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 22-2019]

चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 28 मई, 2019  
(7 ज्येष्ठ, 1941 शक)

क्रमांक	विषय वस्तु	विधायी परिशिष्ट	पृष्ठ
भाग I	अधिनियम		
	कुछ नहीं		
भाग II	अध्यादेश		
	कुछ नहीं		
भाग III	प्रत्यायोजित विधान		
	अधिसूचना संख्या सांका०नि० 23/संवि०/अनु० 309/2019, दिनांक 24 मई, 2019 — हरियाणा परिवहन विभाग (रेगुलेटरी विंग) परिवहन आयुक्त कार्यालय (ग्रुप घ) सेवा नियम, 2019. (प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)		171—187
भाग IV	शुद्धि—पच्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन		
	कुछ नहीं।		

**भाग—III****हरियाणा सरकार****परिवहन विभाग****अधिसूचना**

दिनांक 24 मई, 2019

**संख्या सांका०नि० 23/संवि०/अनु० 309/2019.—** भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा परिवहन विभाग (रेगुलेटरी विंग) परिवहन आयुक्त कार्यालय (ग्रुप घ) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

**भाग I —सामान्य**

1. (1) ये नियम हरियाणा परिवहन विभाग (रेगुलेटरी विंग) परिवहन आयुक्त कार्यालय (ग्रुप घ) सेवा नियम, 2019, कहे जा सकते हैं। संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।  
(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
2. इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं।
  - (क) “आयोग” से अभिप्राय है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग;
  - (ख) “सीधी भर्ती” से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति, जो सेवा में से पदोन्नति या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानांतरण से अन्यथा की गई हो;
  - (ग) “क्षेत्रीय कार्यालय” से अभिप्राय है, जिलों में परिवहन आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय;
  - (घ) “सरकार” से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा सरकार;
  - (ङ) “मुख्य कार्यालय” से अभिप्राय है, परिवहन आयुक्त कार्यालय;
  - (च) “संस्था” से अभिप्राय है,—
    - (i) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था; या
    - (ii) इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त कोई अन्य संस्था;
  - (छ) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अभिप्राय है—
    - (i) भारत में विधि द्वारा निगमित कोई विश्वविद्यालय; या
    - (ii) कोई अन्य विश्वविद्यालय जो इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किया गया हो;
  - (ज) “सेवा” से अभिप्राय है, हरियाणा परिवहन विभाग (रेगुलेटरी विंग) परिवहन आयुक्त कार्यालय (ग्रुप घ) सेवा;
  - (झ) “परिवहन आयुक्त” से अभिप्राय है, आयुक्त, परिवहन विभाग, हरियाणा।

**भाग II — सेवा में भर्ती**

3. सेवा में, इन नियमों के परिशिष्ट ‘क’ में दर्शाए गए पद समाविष्ट होंगे: पदों की संख्या तथा उनका स्वरूप।  
परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों तथा वेतनमानों वाले नए पद स्थाई या अस्थायी रूप से बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।
4. (1) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक वह निम्नलिखित न हो— सेवा में नियुक्त किए गए उम्मीदवारों की राष्ट्रीयता, अधिवास तथा चरित्र।
  - (क) भारत का नागरिक; या
  - (ख) नेपाल की प्रजा ; या
  - (ग) भूटान की प्रजा;

परन्तु वर्ग (ख) या (ग) से संबंधित व्यक्ति किसी प्रवर्ग का ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण—पत्र जारी किया गया हो।

(2) कोई भी व्यक्ति जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाणपत्र आवश्यक हो, आयोग द्वारा संचालित परीक्षा अथवा साक्षात्कार के लिए प्रविष्ट किया जा सकता है, किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे केवल भारत सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के बाद ही दिया जा सकता है।

(3) कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी भी पद पर सीधी भर्ती द्वारा तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक वह अपनी अंतिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था, यदि कोई हो, के प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण-पत्र और दो ऐसे जिम्मेदार व्यक्तियों से, जो उसके सम्बन्धी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भली-भांति परिचित हों और जो उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से सम्बन्धित न हों, उसी प्रकार के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करें।

आयु।

5. सेवा में भर्ती के लिए आयु ऐसी होगी जो हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2018 (2018 का 5) की धारा 6 में यथा विनिर्दिष्ट है।

नियुक्ति प्राधिकारी।

6. सेवा में पदों पर सभी नियुक्तियां परिवहन आयुक्त द्वारा की जाएगी।

योग्यताएं।

7. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक वह सीधी भर्ती की दशा में, इन नियमों के परिशिष्ट ख के खाना 3 में विनिर्दिष्ट तथा सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में पूर्वोक्त परिशिष्ट ख के खाना 4 में विनिर्दिष्ट योग्यताएं तथा अनुभव न रखता हो:

परन्तु सीधी भर्ती की दशा में, अनुभव संबंधी योग्यताओं में आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण के विवेक पर, पचास प्रतिशत सीमा तक ढील दी जा सकेगी यदि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों में उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हो, ऐसा करने के लिए लिखित रूप में कारण दिए जाएंगे।

अयोग्यताएं।

8. कोई भी व्यक्ति, —

- (क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है; या
- (ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है,

सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए योग्य नहीं होगा:

परन्तु यदि सरकार की संतुष्टि हो जाए कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं; तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

भर्ती का ढंग।

9. सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जाएगी,—

(क) सेवादार की दशा में,—

- (i) सीधी भर्ती द्वारा; अथवा
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(ख) चौकीदार की दशा में,—

- (i) सीधी भर्ती द्वारा; अथवा
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(ग) स्वीपर/माली/स्वीपर-कम-माली की दशा में,—

- (i) सीधी भर्ती द्वारा; अथवा
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा।

परिवीक्षा।

10. (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो दो वर्ष की अवधि के लिए और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा :

परन्तु—

- (क) ऐसी नियुक्ति के बाद, किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि, परीक्षा की अवधि में गिनी जाएगी;
  - (ख) स्थानांतरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किए गए कार्य की कोई अवधि नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर, इस नियम के अधीन निश्चित परीक्षा अवधि में गिनने की अनुमति दी जा सकती है; और
  - (ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि परीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जाएगी, किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्न रूप में कार्य किया है, परीक्षा की विहित अवधि पूरी होने पर, यदि वह किसी स्थायी पद पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किए जाने का हकदार नहीं होगा।
- (2) यदि, नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, परीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो, तो वह,—
- (क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है; और
  - (ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो, —
    - (i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है; या
    - (ii) उसके सम्बन्ध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करें।
- (3) किसी व्यक्ति की परीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्त प्राधिकारी,—
- (क) यदि उसकी राय में, उसका कार्य या आचरण संतोषजनक रहा हो तो,—
    - (i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह स्थाई रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है; या
    - (ii) ऐसे व्यक्ति को, यदि किसी अस्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया है, स्थायी रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है; या
    - (iii) यदि कोई स्थाई रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली है; या
  - (ख) यदि उसकी राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो,—
    - (i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके सम्बन्ध में ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करें; या
    - (ii) उसकी परीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश पारित कर सकता है, जो वह परीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था :
- परन्तु परीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी, यदि कोई हो, शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

11. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता सेवा में किसी भी पद पर उनके लगातार सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जाएगी। ज्येष्ठता।

परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हो तो, वहां ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिए अलग-अलग निश्चित की जाएगी :

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता निश्चित करते समय आयोग, द्वारा अवधारित योग्यताक्रम भंग नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप से निश्चित की जाएगी:—

- (क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य पदोन्नति या स्थानांतरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा;
- (ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानांतरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा;
- (ग) पदोन्नति अथवा स्थानांतरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में उन सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जाएगी, जिनसे वे पदोन्नत या स्थानांतरित किए गए थे ; और
- (घ) विभिन्न संवर्गों से स्थानांतरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जाएगी, अधिमान ऐसे सदस्यों को दिया जाएगा, जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था, और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो, तो उनकी ज्येष्ठता उनकी नियुक्तियों में उनके सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जाएगी और यदि सेवाकाल भी समान हो तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा।
- सेवा करने का दायित्व। **12.** (1) सेवा का कोई भी सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, हरियाणा राज्य के भीतर अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर, सेवा करने के लिए आदेश दिए जाने पर, ऐसा करने के लिए दायी होगा।  
(2) सेवा के किसी सदस्य को सेवा के लिए निम्नलिखित के अधीन प्रतिनियुक्त किया जा सकता है,—
- (i) कोई कम्पनी, संगठन या व्यक्ति निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण राज्य सरकार के पास है, हरियाणा राज्य के भीतर, नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय ;
- (ii) केन्द्रीय सरकार या कोई कम्पनी, संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो; अथवा
- (iii) कोई अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत्त निकाय, जिसका नियंत्रण सरकार के पास न हो, अथवा गैर-सरकारी निकाय :
- परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खण्ड (ii) या खण्ड (iii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जाएगा।
- वेतन, भत्ते, छुट्टी, पेंशन तथा सेवा की अन्य शर्तें। **13.** हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2018 (2018 का 5) की धारा 4 में यथा विनिर्दिष्ट।
- अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलें। **14.** (1) अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलों से सम्बन्धित मामलों में, सेवा के सदस्य समय-समय पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016, द्वारा शासित होंगे :  
परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप, जो लगाई जा सकती है, ऐसी शास्तियां लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वे होंगे, जो इन नियमों के परिशिष्ट ग में विनिर्दिष्ट हैं।  
(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 के नियम 9 के उपनियम (1) के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के अधीन आदेश करने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वही होंगे, जो इन नियमों के परिशिष्ट घ में विनिर्दिष्ट हैं।
- टीका लगवाना। **15.** सेवा का प्रत्येक सदस्य स्वयं को टीका लगवाएगा तथा जब सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसा निर्देश करे, पुनः टीका लगवाएगा।
- राजनिष्ठा की शपथ। **16.** सेवा में प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जाएगी।
- ढील देने की शक्ति। **17.** जहां सरकार की राय में, इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या समीचीन हो, वहां वह कारण लिखकर, आदेश द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है।
- विशेष उपबन्ध। **18.** इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह ऐसा करना समीचीन समझे, तो वह नियुक्ति आदेश में विशेष निबन्धन तथा शर्तें लगा सकता है।

19. इन नियमों में दी गई कोई भी बात, राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी आरक्षण। किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों तथा व्यक्तियों के किसी अन्य वर्ग या प्रवर्ग को दिए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी :

परन्तु इस प्रकार से किए गए आरक्षण की कुल प्रतिशतता, किसी भी समय, पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

20. सेवा को लागू तथा इन नियमों के अनुरूप कोई नियम, जो इन नियमों के प्रारम्भ से तुरन्त पहले लागू हो, इसके द्वारा, निरसित किए जाते हैं : निरसन तथा व्यावृत्ति।

परन्तु इस प्रकार के निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के अनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश अथवा की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

परिशिष्ट क  
(देखिए नियम 3)

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1	2	3	4
1.	सेवादार	62	सैल 1 प्रवेश स्तर 16900 /— रुपये
2.	चौकीदार	21	सैल 1 प्रवेश स्तर 16900 /— रुपये
3.	स्वीपर / माली / स्वीपर —कम—माली	21	सैल 1 प्रवेश स्तर 16900 /— रुपये

**परिशिष्ट ख**  
(देखिए नियम 7)

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
1	सेवादार	हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2018 (2018 का 5) की प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट	<b>स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा:—</b> हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2018 (2018 का 5) की प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट
2	चौकीदार	हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2018 (2018 का 5) की प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट	<b>स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा:—</b> हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2018 (2018 का 5) की प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट
3	स्वीपर/माली/स्वीपर—कम—माली	हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2018 (2018 का 5) की प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट	<b>स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा:—</b> हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2018 (2018 का 5) की प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट

## परिशिष्ट ग

[देखिए नियम 14 (1)]

क्रम संख्या	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6
1	सेवादार	परिवहन आयुक्त	(1) छोटी शास्तियां हरियाणा सिविल सेवाएं (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 में यथा विनिर्दिष्ट (2) बड़ी शास्तियां – हरियाणा सिविल सेवाएं (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 में यथा विनिर्दिष्ट।	परिवहन आयुक्त	सरकार
2	चौकीदार				
3	स्वीपर/माली/स्वीपर-कम-माली				

**परिशिष्ट घ**  
**[देखिए नियम 14 (2)]**

क्रम संख्या	पदनाम	आदेश का स्वरूप	आदेश करने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5
1 2 3	सेवादार चौकीदार स्वीपर/माली/ स्वीपर-कम-माली	(i) पेंशन को शासित करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय अतिरिक्त पेंशन की राशि में कमी करना या रोकना; (ii) उसकी अधिवर्षिता के लिए नियत आयु के होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति।	परिवहन आयुक्त	सरकार

धनपत सिंह,  
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
परिवहन विभाग।

*[Authorised English Translation]***HARYANA GOVERNMENT****TRANSPORT DEPARTMENT****Notification**

The 24th May, 2019

**No. G.S.R 23/Const./Art./309/2019.**— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Haryana Transport Department (Regulatory Wing) Transport Commissioner's Office (Group D) Service, namely:-

**PART 1- General**

Short title and commencement.

1. (1) These Rules may be called the Haryana Transport Department(Regulatory Wing) Transport Commissioner's Office (Group D) Service Rules, 2019.

(2) These rules shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Definition.

2. In these rules, unless the context otherwise requires,-

- (a) "Commission" means the Haryana Staff Selection Commission;
- (b) "direct recruitment" means an appointment made otherwise than by promotion from within the Service or by transfer of an official already in the service of the Government of India or any State Government;
- (c) "Field Offices" means the offices of Transport Commissioner in the districts;
- (d) "Government" means the Haryana Government in the Administrative Department;
- (e) "Head Office" means the office of the Transport Commissioner;
- (f) "institution" means -
  - (i) any institution established by the law in force in the State of Haryana; or
  - (ii) any other institution recognized by the Government for the purpose of these rules;
- (g) "recognized University" means,-
  - (i) any university incorporated by law in India; or
  - (ii) any other university which is declared by the Government to be a recognized university for the purpose of these rules;
- (h) "Service" means the Haryana Transport Department (Regulatory Wing) Transport Commissioner's Office (Group D) Service;
- (i) "Transport Commissioner" means the Commissioner Transport Department, Haryana.

**PART II- Recruitment to Service**

Number and character of post.

3. The Service shall comprise the posts shown in Appendix A of these rules:

Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of the Government to make additions to or reduction in the number of such posts or to create new posts with different designations and scales of pay, either permanently or temporarily.

Nationality, domicile and character of candidates appointed to service.

4. (1) No person shall be appointed to any post in the service, unless he is,-
- (a) a citizen of India; or
  - (b) a subject of Nepal; or
  - (c) a subject of Bhutan:

Provided that a person belonging to any of the categories (b) or (c) shall be a person in whose favour of a certificate of eligibility has been issued by the Government.

(2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Commission, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.

(3) No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment, unless he produces a certificate of character from the principal, academic officer of the university, college, school or institution last attended, if any and similar certificates from two other responsible persons, not being his relatives who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his university, college, school or institution.

5. The age for recruitment to the service shall be such as specified in section 6 of the Haryana Group D Employees (Recruitment and Conditions of Service) Act, 2018 (5 of 2018). Age.

6. All Appointments to the posts in the Service shall be made by the Transport Commissioner. Appointing authority.

7. No person shall be appointed to any post in the Service, unless, he is in possession of qualifications and experience specified in column 3 of Appendix B of these rules in case of direct recruitment and those specified in column 4 of the aforesaid Appendix in the case of appointment other than by the direct recruitment. Qualifications.

Provided that in case of direct recruitment, the qualification regarding experience shall be relaxable to the extent of 50% at the discretion of the Commission or any other recruiting authority in case sufficient number of candidate belonging to Schedule Castes, Backward Classes, Ex-Serviceman and physically handicapped candidates possessing the requisite experience, are not available to fill up the vacancies reserved for them, after recording reason for so doing in writing.

8. No person - Disqualifications.

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person shall be eligible for appointment to any post in the service:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

9. Recruitment to the Service shall be made, - Method of recruitment.

- (A) **in case of Peon,-**
  - (i) by direct recruitment; or
  - (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or Government of India;
- (B) **in case of Chowkidar,-**
  - (i) by direct recruitment; or
  - (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or Government of India;
- (C) **in case of Sweeper/Mali/Sweeper-cum-Mali,-**
  - (i) by direct recruitment; or
  - (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or Government of India.

10. (1) Persons appointed to any post in the Service shall remain on probation, for a period of two years, if appointed by direct recruitment and one year, if appointed otherwise: Probation.

Provided that-

- (a) any period, after such appointment, spent on deputation on corresponding or a higher post shall count towards the period of probation;
- (b) any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to the Service may, in the case of an appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule; and

- (c) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but no person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation, be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a permanent vacancy.
- (2) If, in the opinion of the appointing authority, the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may, -
  - (a) if such person is appointed by direct recruitment, dispense with his services; and
  - (b) if such person is appointed otherwise than by direct recruitment,-
    - (i) revert him to his former post; or
    - (ii) deal with him in such other manner, as the terms and conditions of his previous appointment permit.
- (3) On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority may,-
  - (a) if his work or conduct has, in its opinion, been satisfactory,-
    - (i) confirm such person from the date of his appointment, if appointed against a permanent vacancy; or
    - (ii) confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy; or
    - (iii) declare that he has completed his probation satisfactorily, if there is no permanent vacancy; or
  - (b) if his work or conduct has, in its opinion, been not satisfactory,-
    - (i) dispense with his service, if appointed by direct recruitment, if appointed otherwise, revert him to his former post or deal with him in such other manner, as the terms and conditions of his previous appointment permit; or
    - (ii) extend his period of probation and thereafter pass such order, as it could have passed on the expiry of the first period of probation:

Provided that the total period of probation including extension, if any, shall not exceed three years.

Seniority.

**11.** Seniority, inter-se of the members of the Service shall be determined by the length of continuous service on any post in the Service:

Provided that where there are different cadres in the Service, the seniority shall be determined separately for each cadre:

Provided further that in the case of members appointed by direct recruitment, the order of merit determined by the Commission shall not be disturbed in fixing the seniority:

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows:-

- (a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer;
- (b) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer;
- (c) in the case of members appointed by promotion or by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they were promoted or transferred; and
- (d) in the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member, who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment; and if the rates of pay drawn are also the same, then by the length of their service in the appointments, and if the length of such service is also the same, the older member shall be senior to the younger member.

- 12.** (1) A member of the Service shall be liable to serve at any place, whether within or outside the State of Haryana, on being ordered so to do by the appointing authority. Liability to serve.
- (2) A member of Service may also be deputed to serve as under;
- (i) a company, an association, or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, a Municipal Corporation or a local authority or university within the State of Haryana;
  - (ii) the Central Government or a company, an association or body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government; or
  - (iii) another State Government, an international organization, an autonomous body not controlled by the Government or a private body:
- Provided that no member of the Service shall be deputed to serve the Central or any other State Government or any organization or body referred to in clause (ii) or clause (iii) except with his consent.
- 13.** As specified in section 4 of the Haryana Group D Employees (Recruitment and conditions of service) Act, 2018 (5 of 2018). Pay, allowances, leave, pension and other conditions of service.
- 14.** (1) In matters relating to discipline, penalties and appeals, members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016, as amended from time to time: Discipline, penalties and appeals.
- Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these rules.
- (2) The authority competent to pass an order under clause (c) or clause (d) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeals) Rules, 2016 and the appellate authority shall be as specified in Appendix D to these rules.
- 15.** Every member of the Service shall get himself vaccinated and revaccinated if and when the Government so directs by a special or general order. Vaccination
- 16.** Every member of the Service, unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India as by law established. Oath of allegiance
- 17.** Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons. Power of relaxation.
- 18.** Notwithstanding anything contained in these rules, the appointing authority may impose special terms and conditions in the order of appointment, if it is deemed expedient to do so. Special provisions.
- 19.** Nothing contained in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Backward Classes, Ex-servicemen, physically handicapped persons or any other class or category of persons in accordance with the orders issued by the State Government in this regard, from time to time: Reservations.
- Provided that the total percentage of reservations, so made, shall not exceed fifty percent, at any time.
- 20.** Any rule applicable to the Service and corresponding to any of these rules which is in force immediately before the commencement of these rules, is hereby repealed: Repeal and savings.
- Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

**APPENDIX A***(see rule 3)*

<b>Serial Number</b>	<b>Designation of post</b>	<b>Number of posts</b>	<b>Pay scale</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Peon	62	DL, Cell 1 ₹ 16900/-
2	Chowkidar	21	DL, Cell 1 ₹ 16900/-
3	Sweeper/Mali/ Sweeper-cum-Mali	21	DL, Cell 1 ₹ 16900/-

**APPENDIX B***(see rule 7)*

<b>Serial number</b>	<b>Designation of post</b>	<b>Academic Qualifications and experience, if any, for direct recruitment</b>	<b>Academic Qualification and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Peon	As specified in the First Schedule of the Haryana Group D Employees (Recruitment and Conditions of Service) Act, 2018 (5 of 2018)	<b>By transfer or deputation-</b> As specified in the First Schedule of the Haryana Group D Employees (Recruitment and Conditions of Service) Act, 2018 (5 of 2018)
2	Chowkidar	As specified in the First Schedule of the Haryana Group D Employees (Recruitment and Conditions of Service) Act, 2018 (5 of 2018)	<b>By transfer or deputation</b> As specified in the First Schedule of the Haryana Group D Employees (Recruitment and Conditions of Service) Act, 2018 (5 of 2018)
3	Sweeper/Mali/ Sweeper-cum-Mali	As specified in the First Schedule of the Haryana Group D Employees (Recruitment and Conditions of Service) Act, 2018 (5 of 2018)	<b>By transfer or deputation</b> As specified in the First Schedule of the Haryana Group D Employees (Recruitment and Conditions of Service) Act, 2018 (5 of 2018)

**APPENDIX C***[see rule 14(1)]*

<b>Serial number</b>	<b>Designation of post</b>	<b>Appointing authority</b>	<b>Nature of Penalty</b>	<b>Authority empowered to impose penalty</b>	<b>Appellate authority</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	Peon	Transport Commissioner	(i) Minor Penalties- As specified in the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rule, 2016;  (ii) Major Penalties- As specified in the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rule, 2016.	Transport Commissioner	Government
2	Chowkidar				
3	Sweeper/Mali/ Sweeper-cum-Mali				

**APPENDIX D***[see rule 14 (2)]*

<b>Serial number</b>	<b>Designation of post</b>	<b>Nature of Order</b>	<b>Authority empowered to make order</b>	<b>Appellate authority</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Peon	(i) Reducing or withholding the amount of ordinary or additional pension admissible under the rules governing pension; (ii) Terminating the appointment of a member of the service otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation.	Transport Commissioner	Government
2	Chowkidar			
3	Sweeper/Mali/Sweeper-cum-Mali			

DHANPAT SINGH,  
Additional Chief Secretary to Government Haryana,  
Transport Department.